न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध:: 52/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर:: 2024/319

प्रार्थीगण:—	बनाम	अप्रार्थीगण:—
1. सुर्य प्रकाश पुत्र भीकाराम 2. देवेन्द्र कुमार पुत्र भीकाराम 3. राकेश कुमार पुत्र भीकाराम 4. राजेश कुमार पुत्र भीकाराम जातिगण जटीया निवासीगण रानीखुर्द तहसील रानी जिला पाली		1. कैलाश पुत्र ओटाराम जाति मालवीय निवासी बिजोवा, तहसील रानी जिला पाली 2. छगनलाल पुत्र वरदाराम जाति मालवीय निवासी रानी तहसील रानी जिला पाली 3. रजनी पुत्री अशोक चौधरी जाति खरडीया निवासी रानी तहसील रानी जिला पाली 4. कृष्ण कुमार पुत्र नैनारामजी 5. मनीषा पुत्री नैनाराम 6. महीपालकुमार पुत्र नैनाराम 7. सुशीला पत्नी नैनाराम जातिगण गरूडा निवासी रानीकलां तहसील रानी 8. हरिलता पुत्री भीकाराम जाति जटिया निवासी रानीखुर्द तहसील रानी जिला पाली 9. तहसीलदार महोदय रानी (अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 प्रफोर्मा पक्षकार है)

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव।
3. अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से सरकारी पैरोकार अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक: 28/01/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद संख्या 90/2024 बअनवान कैलाश वगैरा बनाम कृष्ण कुमार वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को किसी अन्य

अति. जिला कलेक्टर, पाली

समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सख्या 01 से 03 के अधिवक्ता वक्त बहस उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 04 से 08 प्रफोर्मा पक्षकार होने से अदम तामिल की स्थित में अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील प्रार्थना पत्र में संबंधित पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही बिना अप्रार्थीगण के तामिली के मौका रिपोर्ट के आदेश पारित कर दिये जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5/4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148, 151 सी.पी.सी. एंव धारा 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2024 को नियत थी। दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 5/5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भू अभिलेख रानी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 5/4 ने आपत्तिया मय जवाब पेश किया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के परिपत्र अनुसार मौका जाचं एवं निरीक्षण से पुर्व उभयपक्षकारों को नोटिस दिया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना आज्ञापक है लेकिन जैर प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रानी ने प्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से बिना अप्रार्थीगण की तामिली के, अप्रार्थी संख्या 5/4 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां एंव जवाब को रेकर्ड पर लिये बगैर बिना उभयपक्ष की उपस्थित में तैयार मौका रिपोर्ट को रेकर्ड पर लेकर प्रकरण में अंतिम निर्णय हेतु दिनांक 18.09.2024 को तारीख नियत कर दी। तहसीलदार रानी प्रकरण में प्रार्थी संख्या 03 रजनी खौड आरआई दलाराम की पुत्रवधु है एवं प्रार्थी संख्या 01 कैलाश सादडी आर. आई किशोर मालवीय के भाई को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत रखते हुए प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित करने पर उतारू है जिससे अप्रार्थीगण को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उपखण्ड अधिकारी, रानी के प्रकरण संख्या 90/2024 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का आदेश फरमावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए उपरोक्त आधारों को तथ्यहीन बताते हुए अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में हमेशा से ही दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर दिये जाकर कार्यवाही की जा रही है तथा तारीख पेशियां भी सभी पक्षकारान के अधिवक्ता की सहमति के बाद ही नियत की जाती है तथा प्रत्येक पेशी पर अधिवक्ता प्रार्थी की उपस्थिति दर्ज रही है एवं न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायहित में पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किये गये है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किये, जो अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस बताये गये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित समस्त तथ्य मनगढत एंव मिथ्या एक औचित्यहिन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी से प्राप्त प्रकरण में पैरावार टिप्पणी एवं मूल पत्रावली में वर्णित आदेशिकाओं का गहनता से अध्ययन करने पर यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों को साक्ष्य, सबूत/दस्तावेज पेश करने तथा सूनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा रहे है एवं उभयपक्ष की उपस्थित में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी के विरूद्ध विधि एवं प्रावधानों के परे जाकर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो कि प्रार्थना पत्र की आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है परन्तु सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को न्यायालय, सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी रानी से न्याय मिलने का विश्वास नहीं रहा है एवं न्याय का यह प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि सही एवं उचित न्याय होना चाहिए तथा न्याय होते हुए प्रदर्शित भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम यह उचित समझते है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्य समकक्ष न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया जाये तो किसी भी पक्ष को कोई न्यायिक क्षति नहीं होगी तथा प्रार्थी के मन में न्यायालय, सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी रानी के संबंध में उसके विरूद्व पूर्वाग्रह रखने के विचार भी मूल से समाप्त हो जायेंगे।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, रानी के प्रकरण राजस्व वाद संख्या 90/2024 बअनवान कैलाश वगैरा बनाम कृष्ण कुमार वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मूल ही न्यायालय, सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, पाली को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली